न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्या: 33/2017 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

ओम प्रकाश अग्रवाल मं.न. 5 तानाजी मार्ग, बह्मपुरी रोड, जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (सहायक कलक्टर प्रथम, जयपुर शहर) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक: 14.12.17

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 03.10.2017 का आवेदन–पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर जिला अभिलेखागार के कार्यालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर, जिला अभिलेखागार द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 17.11.2017 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (सहायक कलक्टर प्रथम, जयपुर शहर) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर के पत्र कमांक/रिकार्ड/2017/340 दिनांक 05/12/2017 से प्राप्त जबाब शामिल मिसल किया गया। अपीलांट स्वयं अनुपस्थित रहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी,सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर जिला अभिलेखागार से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर निर्धारित अवधि में सूचना रिकॉर्ड के पृष्ठो की संख्या अंकित कर निर्धारित शुल्क दो रूपये प्रति पृष्ठ की मांग की जानी चाहिये थी। किन्तु जबाब से जाहिर होता है कि सात आवेदन पत्र पृथक की मांग की जाकर प्रत्येक आवेदन पत्र के आधार पर शुल्क 10 रूपये की मांग की गई है। एक आवेदन पत्र पर ही सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिये जो कि नही कराई गई है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2017 में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड अपीलांट को निशुल्क उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14/12/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।